न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

अनवान :– प्रार्थना पत्र संख्या 52/2024

गुरूद्वारा सिंह सभा, चक 19 जैड, तहसील व जिला श्रीगंगानगर जरिये प्रधान गुरूद्वारा ट्रस्ट, 19 जैड जगपाल सिंह पुत्र जीत सिंह, निवासी 19 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्री गंगानगर ।

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

– :: उपस्थित अभिभाषक :: –

अधिवक्ता श्री हरजीत सिंह — प्रार्थी
पैरोकार राज — अप्रार्थी

– :: आदेश ::–

दिनांक :–18.12.2025

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी गुरूद्वारा साहिब, चक 19 जैड, तहसील व जिला श्रीगंगानगर, जब से गांव आबाद हुआ और बसा स्थापित है तथा गुरूद्वारा साहिब, 19 जैड के नाम से बतौर माफी चक हाजा के मुरब्बा नम्बर 10 का किला नं0 9 ता 13 जमाबंदी सम्वत् 2019, 2021–25 में माफी गुरूद्वारा दर्ज है। नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। वादी गुरूद्वारा साहिब जो कि नाबालिग की श्रेणी में आता है, स्वयं कार्यवाही करने में सक्षम नहीं होने के कारण बतौर वाद मित्र जरिये प्रधान प्रबंधक कमेटी 19 जैड के द्वारा वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी का रजिस्टर्ड पता सिविल प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुसार वही है, जो वाद के शीर्षक में अंकित है । वाद दो प्रतियों में प्रस्तुत है तथा वाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र संलग्न है। गुरूद्वारा साहिब को आवंटित रकबा चक 19 जैड के मुरब्बा नम्बर 10 का किला नं0 9 ता 13 में काश्त गुरूद्वारा साहिब द्वारा करवाई जाती आ रही है तथा उक्त रकबा की पैदावार से हुई आय तमाम गुरूद्वारा साहिब के रखरखाव एवं गुरूद्वारा में उत्सवों में खर्च की जाती है, किसी प्रकार से कोई दुरूपयोग नहीं किया जाता है। उक्त रकबा की पानी की पर्ची गुरूद्वारा के नाम से चली आ रही है तथा मामला भी गुरूद्वारे के नाम से अदा किया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

जाता रहा है। नकल पानी पर्ची व मामलात की पर्ची संलग्न है। एक सप्ताह पूर्व वादी द्वारा उक्त गुरूद्वारा साहब की भूमि पर मौका पर गेंहू की फसल काश्त है, जिसकी कटाई कमेटी द्वारा करवाई जानी लगी तो मौका पर हल्का पटवारी द्वारा आकर कटाई करने से रोका गया तथा यह कहा कि यह रकबा गुरूद्वारा साहिब का नहीं है। राजस्व रिकार्ड में पृष्ठांकन राजस्थान सरकार के नाम से है, आप किसी प्रकार से भी फसल नहीं काट सकते। इस पर प्रधान/सचिव द्वारा पटवारी हल्का से यह कहा कि यह रकबा गुरूद्वारा साहिब को आवंटित है, किसी प्रकार से सिवाये चक राजस्थान सरकार नहीं हो सकता है, परन्तु पटवारी हल्का द्वारा यह कहा गया कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लावें । इस पर वादी द्वारा प्रधान श्रीगंगानगर में आकर अधिवक्तागण से विधिक राय प्राप्त की, जिस पर उनके द्वारा जमाबंदी के अवलोकन का कहा, जिस पर दिनांक 01–04–2024 को जमाबंदी प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की गई, जो दिनांक 04–04–2024 को प्राप्त हुई। इस पर वादी द्वारा तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर के समक्ष उपस्थित होकर राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने हेतु दिनांक 05–04–2024 को निवेदन किया गया, जिस पर प्रतिवादी द्वारा वादी को यह कहा कि उक्त संशोधन न्यायालय के आदेशों से किया जा सकता है। इस कारण उपरोक्त वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ रहा है। उक्त दिनांक से पूर्व किसी प्रकार से रकबा राज होने का कोई ज्ञान वादी को प्राप्त नहीं था, जानकारी होने पर वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रश्नगत भूमि का राजस्व रिकार्ड में पृष्ठांकन कर्मचारियों की भूल, त्रुटि के कारण राजस्थान सरकार अंकित हुआ है, जो कि संशोधन योग्य है। प्रश्नगत भूमि चक 19 जैड तहसील श्रीगंगानगर में स्थित है एवं प्रतिवादी का कार्यालय भी श्रीगंगानगर में स्थित है। इस कारण वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने के कारण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कि उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है। अतः वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुये वाद वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें :–

डिक्री संशोधन राजस्व रिकार्ड एवं इससे पूर्व के रिकार्ड में जहां गुरूद्वारा माफी के स्थान पर राजस्थान सरकार अंकित हुआ है, में संशोधन कर गुरूद्वारा माफी किए जाने का आदेश प्रतिवादी को दिया जावे।

कि खर्चा मुकदमा प्रतिवादी से दिलाया जावें ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदीयों का अवलोकन किया गया। वर्तमान जमाबंदी में खाता संख्या 1 में मुरबा नम्बर 10 के किला नम्बर 9 ता 13 राजस्थान सरकार दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

दस्तावेजी साक्ष्यों से यह साबित करने में असफल रहा है कि गुरूद्वारा माफी के स्थान पर राजस्थान सरकार कब और कैसे दर्ज हुआ। चूंकि रकबा राज्य सरकार के खाता संख्या 1 में दर्ज है जिसके सम्बन्ध में बिना पूर्ण साक्ष्य सबूत कि किसी प्रकार का निर्णय किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नयन गौतम)आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner